[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 0 29 201/8 सीमा शुल्क-

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2018

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 50/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

(i) क्रम सं. 20 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, "दालों सिवाय मटर (पिसम सटेविम), तूर, चना और मसूर के" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) क्रम सं. 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यां और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"21 क	0713 20 00	काबुली चना	40%	-	-";

(iii) क्रम सं0 57 में, स्तंभ (3) में मद II के खंडों (क), (ख) और (ग) के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि क्रमशः ''30%'' के स्थान पर प्रविष्टि ''44 %'' प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(iv) क्रम सं0 65 में स्तंभ (4) की प्रविष्टि क्रमशः"40%" के स्थान पर "54%" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(v) क्रम सं. 473 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(फा.सं.354/203/2012-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यां 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी जो अधिसूचना सं0 27/2018-सीमाशुल्क, तारीख 23 फरवरी, 2018 सा.का.नि. 182 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।